8.6.
22/4/17

(58)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक– 15 / 04 / 2017

2795
22/04/17

विषयः– **राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के पी0जी0 छात्रों द्वारा कोर्स बीच में छोड़ने की स्थिति में बंधेज राशि अधिरोपित करने एवं पी0जी0 उत्तीर्ण होने के उपरान्त राज्य में तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र (Bond) हस्ताक्षरित कराने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।**

राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 कोर्स में नामांकन लेने के पश्चात् कई छात्र अपना कोर्स बीच में छोडकर चले जाते हैं, जिससे उन विषयों की सीटें रिक्त रह जाती है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी बनी रहती है।

2– उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के चिकित्सा शिक्षा में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(i) राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 में नामांकन लेने वाले छात्रों से यह बंध–पत्र (Bond) लिया जायेगा कि नामांकन के पश्चात् पाठ्यक्रम छोड़ने पर उन्हें 15 (पन्द्रह) लाख रुपये तथा इस अवधि में छात्रवृत्ति (Stipend) के रूप में प्राप्त सभी राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

(ii) पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् भी तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार के अधीन करने की बाध्यता होगी। तीन वर्षों की आवश्यक सेवा राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उन्हें 25 (पच्चीस) लाख रुपये तथा इस अवधि में प्राप्त वेतन की राशि एकमुश्त वापस करनी होगी।

3– एतद् विषयक बंध–पत्र (Bond) नये छात्रों से नामांकन के समय ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा ले लिया जायेगा। वर्त्तमान में जो नामांकित हैं, उनसे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्यों द्वारा बंध–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। प्राचार्य, बंध–पत्र सम्पादन के उपरान्त ही छात्रों के छात्रवृत्ति/मानदेय का भुगतान करेंगे। बंध–पत्र (Bond) के साथ छात्रों से उनके एम0बी0बी0एस0 से संबंधित अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र आदि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में सुरक्षित रखे जायेंगे। इसी प्रकार पी0जी0 उत्तीर्ण होने के पश्चात् छात्रों को एम0बी0बी0एस0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त पी0जी0 से संबंधित अंक–पत्र, प्रमाण–पत्र आदि भी, तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि तक के लिए, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की अभिरक्षा में रखे जायेंगे। तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् अथवा निर्धारित बंधेज राशि जमा करने के पश्चात् ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल द्वारा इन्हें वापस किया जायेगा।

4– यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.4.17

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः